भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2846

उत्तर देने की तारीख 12 अगस्त, 2026

बुधवार, 21 श्रावण, 1948 (शक)

महाराष्ट्र में कौशल विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन

2846. श्री धनंजय भीमराव महाडिक:

क्या कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में कार्यान्वित कौशल विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय योजनाओं के तहत प्रशिक्षित युवाओं की ज़िला-वार संख्या कितनी है;

(ग) हासिल की गई नियोजन दर कितनी है; और

(घ) कौशल प्रशिक्षण को उद्योग की ज़रूरतों के अनुरूप बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क): भारत सरकार के कौशल भारत मिशन (सिम) के अंतर्गत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न स्कीमों, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) तहत कौशल विकास केंद्रों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से और शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) के अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से महाराष्ट्र राज्य सहित पूरे देश में समाज के सभी वर्गों को कौशलकीरण, पुनर्कौशलीकरण तथा कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। सिम का उद्देश्य भारत के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना और उन्हें उद्योग से संबंधित कौशल से सुसज्जित करना है।

सरकार कौशल भारत मिशन के अंतर्गत कौशल विकास पहलों की समय-समय पर समीक्षा करती है, जिसमें नामांकन, प्रमाणन, प्लेसमेंट, स्वरोजगार के परिणाम और नियोक्ताओं के फीडबैक का आकलन करके रोजगार क्षमता और भविष्य के कौशल को मजबूत करने में उनकी

प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जाता है। ये समीक्षाएँ पाठ्यचर्या के निरंतर अद्यतन, उद्योग सहयोग और कार्यान्वयन विधियों में सुधार का समर्थन करती हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कौशल विकास कार्यक्रम विकसित हो रही प्रौद्योगिकी प्रवृत्तियों और श्रम बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप बने रहें। व्यापक कौशल विकास स्कीमों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन एमआईएस-आधारित निगरानी, तृतीय-पक्ष मूल्यांकनों और लाभार्थियों की फीडबैक के माध्यम से भी किया जाता है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा वर्तमान में कार्यान्वित की जा रही सभी स्कीमें सामान्य रूप से तृतीय-पक्ष मूल्यांकन प्रक्रिया से गुजरी हैं। एमएसडीई द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के मूल्यांकन का विवरण निम्नानुसार है:

पीएमकेवीवाई 4.0: भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के एक स्वायत्त संस्थान, अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एजेएनआईएफ़एम) द्वारा पीएमकेवीवाई 4.0 का एक स्वतंत्र तृतीय-पक्षीय प्रभाव मूल्यांकन किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, पीएमकेवीवाई प्रशिक्षण ने अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) उम्मीदवारों के रोजगार परिणामों में उल्लेखनीय सुधार लाने में योगदान दिया है। प्रशिक्षण से पहले कार्यरत और स्व-रोजगार प्राप्त एसटीटी उत्तरदाताओं का संयुक्त हिस्सा 26.6% था, जो पीएमकेवीवाई प्रशिक्षण के बाद बढ़कर 45.4% हो गया, जो 18.8 प्रतिशत अंकों की वृद्धि दर्शाता है। आय संबंधी परिणाम भी सकारात्मक हैं, जिसमें 41.4% एसटीटी उम्मीदवारों और 48.9% पूर्व अधिगम मान्यता (आरपीएल) उम्मीदवारों ने प्रशिक्षण और प्रमाणन के बाद आय में वृद्धि दर्ज की है। कुल मिलाकर, पीएमकेवीवाई 4.0 ने औपचारिक कौशल प्रशिक्षण और प्रमाणन तक पहुंच को काफी हद तक बढ़ाया है और लाभार्थियों के एक बड़े हिस्से के लिए कौशल आत्मविश्वास, रोजगार भागीदारी और आय परिणामों में उल्लेखनीय सुधार किया है।

जेएसएस: भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के एक स्वायत्त संस्थान, अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान द्वारा 2025 में जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) स्कीम का तृतीय-पक्ष मूल्यांकन किया गया, ताकि योजना की पहुंच, प्रभावशीलता और आजीविका परिणामों का आकलन किया जा सके। मूल्यांकन में योजना की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को उजागर किया गया, जिसमें 33.94 लाख व्यक्ति नामांकित हुए, जिनमें से 32 लाख को प्रशिक्षित किया गया और 31.52 लाख को प्रमाणित किया गया, जो 99 प्रतिशत की समग्र सफलता दर को दर्शाता है। कुल प्रतिभागियों में महिलाओं की हिस्सेदारी 82 प्रतिशत थी, जबकि 73 प्रतिशत लाभार्थी हाशिए पर स्थित वर्गों से थे, जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (36 प्रतिशत) और अन्य पिछड़ा वर्ग (37 प्रतिशत) शामिल हैं। आजीविका पर प्रभाव उल्लेखनीय रहा है, जिसमें 90 प्रतिशत पूर्व छात्र अर्जित कौशल का उपयोग आय सृजन के लिए कर रहे हैं, 82 प्रतिशत प्रशिक्षण के छह महीने के भीतर आर्थिक रूप से सक्रिय हो गए हैं और 60 प्रतिशत पूर्व में कमाई नहीं करने वाले व्यक्ति प्रशिक्षण के बाद कमाई शुरू कर चुके हैं। लाभार्थियों की औसत मासिक आय में चार गुना वृद्धि दर्ज की गई।

एनएपीएस: भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के एक स्वायत्त संस्थान, अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एजेएनआईएफ़एम) द्वारा वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक (30 नवंबर 2025 तक के आंकड़ों के आधार पर) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (पीएम एनएपीएस-2) का एक तृतीय-पक्षीय मूल्यांकन अध्ययन किया गया। रिपोर्ट के अनुसार,

मूल्यांकन अवधि के दौरान पीएम एनएपीएस-2 ने उल्लेखनीय विस्तार हासिल किया और 46 लाख के संचयी लक्ष्य के मुकाबले 34.69 लाख प्रशिक्षुओं को रोजगार प्रदान किया, जो लगभग 75 प्रतिशत की समग्र उपलब्धि को दर्शाता है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के संस्थागतकरण से वित्तीय पारदर्शिता और पूर्वानुमान में सुधार हुआ है।

(ख) एवं (ग): वर्ष 2023-24 से 2025-26 की अवधि के दौरान एमएसडीई की प्रमुख कौशल विकास योजनाओं के अंतर्गत महाराष्ट्र में प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या का जिलावार एवं योजनावार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

एमएसडीई की योजनाओं में से, पीएमकेवीवाई के 2015-16 से 2021-22 तक लागू किए गए पहले तीन संस्करणों (पीएमकेवीवाई 1.0, पीएमकेवीवाई 2.0 और पीएमकेवीवाई 3.0) अल्पकालिक प्रशिक्षण घटक के तहत ही प्लेसमेंट को ट्रैक किया गया था। पीएमकेवीवाई (1.0 से 3.0) के तहत महाराष्ट्र में 80,950 उम्मीदवारों को प्लेसमेंट मिलने की सूचना है। पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत, प्रशिक्षित उम्मीदवारों को उद्योग से संबंधित कौशल पाठ्यक्रमों जिसमें ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग (ओजेटी) भी शामिल है। के माध्यम से अभिविन्यस्त कर उन्हें विभिन्न करियर पथ चुनने के लिए सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

(घ): इसके अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रदान किए गए कौशल उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप हों और इस प्रकार रोजगार के अवसरों में सुधार हो, एमएसडीई ने महाराष्ट्र राज्य सहित पूरे देश में निम्नलिखित विशिष्ट कदम उठाए हैं:

- राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) की स्थापना तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (टीवीईटी) क्षेत्र में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियम और मानक स्थापित करने वाले एक व्यापक नियामक निकाय के रूप में की गई है। एनसीवीईटी उद्योग निकायों को अवार्डिंग बॉडीज (एबी) और/या मूल्यांकन एजेंसियों (एए) के रूप में मान्यता देता है।
- अवार्डिंग बॉडीज से यह अपेक्षा की जाती है कि वे उद्योग की मांग के अनुसार योग्यताएं विकसित करें और उन्हें राष्ट्रीय व्यवसाय वर्गीकरण, 2015 के अनुसार चिन्हित व्यवसायों के साथ संरेखित करें तथा उद्योग से मान्यता प्राप्त करें। एनसीवीईटी ने उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार 10209 योग्यताओं को मंजूरी दी है, जिनमें से 2975 योग्यताएं वैध और सक्रिय हैं तथा 7234 योग्यताएं संग्रहीत हैं।
- प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) आईटीआई के छात्रों को वास्तविक औद्योगिक वातावरण में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उद्योगों के सहयोग से फ्लेक्सी समझौता ज्ञापन योजना और प्रशिक्षण की दोहरी प्रणाली (डीएसटी) को लागू कर रहा है।
- राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर संस्थानों के लिए उद्योग से जुड़ाव सुनिश्चित करने के लिए डीजीटी ने आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, ऑटोडेस्क, एडब्ल्यूएस, शेल आदि जैसी आईटी प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये साझेदारियां आधुनिक प्रौद्योगिकियों में तकनीकी और व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने में सहायक हैं।
- पीएमकेवीवाई के तहत, नए युग/भविष्य के कौशल से संबंधित जॉब रोल्स को विशेष रूप से उद्योग 4.0 की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है, खासकर एआई/एमएल,

रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स, ड्रोन प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में, आगामी बाजार मांग और उद्योग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए।

- डीजीटी ने सीटीएस के तहत नए युग/भविष्य के कौशल पाठ्यक्रम शुरू किए हैं ताकि 5जी नेटवर्क, एआई प्रोग्रामिंग, साइबर सुरक्षा, ड्रोन प्रौद्योगिकी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आदि जैसे उभरते क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके।
- एमएसडीई ने स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) लॉन्च किया है, जो एक एकीकृत प्लेटफॉर्म है और कौशल विकास, शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता इकोसिस्टम को आपस में जोड़कर जीवनभर चलने वाली सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। स्किल इंडिया डिजिटल हब के माध्यम से, उम्मीदवार कौशल प्रशिक्षण, रोजगार और शिक्षुता के अवसरों तक पहुंच सकते हैं। प्रशिक्षित उम्मीदवारों का विवरण सिद्ध पोर्टल पर उपलब्ध है, जिसके माध्यम से वे संभावित नियोक्ताओं से जुड़ सकते हैं।
- उद्योग के लिए तैयार कार्यबल को उभरते आर्थिक अवसरों के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में अहमदाबाद और मुंबई में दो (02) भारतीय कौशल संस्थान (आईआईएस) स्थापित किए गए हैं।
- संबंधित क्षेत्रों के उद्योग जगत के अग्रणियों के नेतृत्व में 36 क्षेत्रीय कौशल परिषदों (एसएससी) की स्थापना की गई है, जिन्हें संबंधित क्षेत्रों की कौशल विकास आवश्यकताओं की पहचान करने के साथ-साथ कौशल दक्षता मानकों को निर्धारित करने का दायित्व सौंपा गया है।
- कौशल महोत्सव और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेले का आयोजन मंत्रालय द्वारा देश भर में प्रमाणित उम्मीदवारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए किया गया है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 में व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा के साथ अधिक एकीकृत करने और अकादमिक एवं व्यावसायिक शिक्षा के बीच सुगम आवागमन को बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई है। इसी दृष्टिकोण के अनुरूप, यूजीसी और एआईसीटीई के सहयोग से विकसित शिक्षुता-आधारित डिग्री कार्यक्रम (एईडीपी) डिग्री और डिप्लोमा कार्यक्रमों में नामांकित छात्रों को उनके पाठ्यचर्या के अभिन्न अंग के रूप में शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। यह कार्यक्रम रोजगार क्षमता को बढ़ाता है, परिणाम-आधारित शिक्षा को बढ़ावा देता है, उद्योग-अकादमिक संबंधों को मजबूत करता है और उद्योग-संबंधी कौशल प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है।
- सरकार ने प्रधानमंत्री-सेतु (उन्नत आईटीआई के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशलीकरण एवं रोजगार क्षमता परिवर्तन) के तहत देश भर में 1,000 सरकारी आईटीआई को उन्नत बनाने के लिए 60,000 करोड़ रुपये की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम शुरू की है। इस स्कीम में 200 हब आईटीआई और 800 स्पोक आईटीआई शामिल हैं। उद्योग-आधारित शासन द्वारा संचालित यह पहल शिक्षार्थियों और प्रारंभिक चरण के व्यवसाय मालिकों को प्रासंगिक कौशल, वास्तविक दुनिया का अनुभव और व्यापक करियर मार्गदर्शन प्रदान करके रोजगार क्षमता को बढ़ाती है और उद्यमिता को बढ़ावा देती है। संस्थागत प्रणालियों और महत्वपूर्ण उद्योग संबंधों को मजबूत करके, यह पहली बार उद्यम शुरू करने वालों को सशक्त बनाते हुए मजबूत प्लेसमेंट सहायता प्रदान करती है ताकि वे अपने उद्यमों को सफलतापूर्वक शुरू और बनाए रख सकें।

अनुबंध

'महाराष्ट्र में कौशल विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन के संबंध में दिनांक 12.08.2026 को उत्तरार्थ राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2846 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2023-24 से 2025-26 की अवधि के दौरान महाराष्ट्र में एमएसडीई की प्रमुख कौशल विकास योजनाओं के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या का जिलावार और योजनावार ब्यौरा:+

ज़िलों के नाम	पीएमकेवीवाई	जेएसएस	एनएपीएस (नियुक्त प्रशिक्षु)	सीटीएस (नामांकित उम्मीदवार)
अहिल्यानगर	10,156	4,965	18,891	15,382
अकोला	1,525	5,398	1,581	8,395
अमरावती	4,385	-	4,755	18,195
बीड	1,549	5,400	1,384	8,702
भंडारा	1,538	-	2,176	9,329
बुलढाना	2,024	5,388	1,379	12,428
चंद्रपुर	2,070	10,520	4,651	16,275
छत्रपति संभाजीनगर	2,713	5,396	59,971	8,306
धाराशिव	1,453	-	901	5,901
धुले	1,534	5,400	1,506	7,054
गढ़चिरोली	1,062	5,340	925	7,062
गोंडिया	1,888	5,399	800	7,396
हिंगोली	1,243	-	502	2,572
जलगांव	3,426	5,398	6,685	23,238
जालना	1,330	-	4,202	4,607
कोल्हापुर	5,150	-	16,174	15,296
लातूर	2,781	5,400	1,162	10,305
मुंबई	2,571	10,035	61,887	7,233
मुंबई उपनगर	3,303	-	18,118	8,654
नागपुर	11,759	-	32,968	20,993
नांदेड़	1,908	-	1,683	11,403
नंदुरबार	941	10,800	501	5,319
नासिक	15,915	5,330	71,434	21,898
पालघर	839	-	9,921	6,310
परभनी	3,190	-	971	6,302
पुणे	13,010	5,397	3,64,615	23,773
रायगढ़	1,832	5,400	14,095	8,196
रत्नागिरि	79	5,381	5,754	6,543
सांगली	2,479	-	3,269	9,319
सतारा	1,500	-	17,667	9,402
सिंधुदुर्ग	30	5,399	1,019	3,076
सोलापुर	3,044	-	4,557	11,816
ठाणे	4,933	-	1,01,376	10,290
वर्धा	1,654	-	3,973	6,688
वाशिम	1,652	-	282	4,322
यवतमाल	2,366	-	1,843	12,728
